प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 580 / 2020
06.03.2025 को आदेश आरक्षित
19.03.2025 को आदेश पारित

1 – दिलदार अली पिता मुनव्वर अली उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी किला मंदिर, वार्ड क्रमांक–07, लुचकी पारा, दुर्ग, तहसील एवं जिला– दुर्ग (छ.ग.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
2– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला– दुर्ग (छ.ग.)
3– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला– रायपुर (छ.ग.)
4 – पुलक भट्टाचार्य तत्कालीन– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला– रायपुर (छ.ग.)
5 – शाखा प्रबंधक भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होस्टो सेंटर नं.– 43, मिलर्स रोड, वसंत नगर, बैंगलोर – 560046

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए: श्रीमती फौजिया मिर्जा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अली अफजान मिर्जा, अधिवक्ता
राज्य के लिए: सुश्री प्रज्ञा पांडे, उप शासकीय अधिवक्ता

एकल पीठ
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस अग्रवाल
सी ए वी आदेश

1. याचिकाकर्ता की शिकायत परिवहन विभाग, सरकार द्वारा पारित दिनांक 28/01/2020 (अनुलग्नक पी–1) आदेश में किए गए समर्थन के लिए है। छत्तीसगढ़ के, जिसके अधीन उनके ड्राइविंग लाइसेंस को दिनांक 10/07/2019 के आदेश के अधीन 16/04/2019 से 24/07/2019 तक तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह पेशे से ड्राइवर है, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक सीजी 07 20110028414 है, जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग (संक्षेप में "आरटीओ, दुर्ग") द्वारा उसके पक्ष में 11/11/2011 को जारी किया गया था और 09/11/2031 तक वैध है, लेकिन दिनांक 28/01/2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–1) में किए गए समर्थन से पता चलता है कि इसे 10/07/2019 के आदेश के अधीन 16/04/2019 से 24/07/2019 तक तीन महीने की अवधि

के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा उनका तर्क यह है कि 30/06/2019 को जब वे रवि शंकर मिश्रा के स्वामित्व वाली और बीमाकृत "जीप कैम्पस" चला रहे थे, जिसका पंजीकरण संख्या सीजी/07/बीएल/8844 था, तो यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उन्होंने (रविशंकर मिश्रा) उत्तरवादी संख्या 5– शाखा प्रबंधक, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा दावे के लिए संपर्क किया, लेकिन 18/12/2019 (अनुलग्नक पी/4) के ई–मेल के माध्यम से इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि उनका (याचिकाकर्ता का) ड्राइविंग लाइसेंस उक्त अवधि के दौरान प्रभावी नहीं था, क्योंकि यह 16/04/2019 से 24/07/2019 तक निलंबित था।

3. यह भी तर्क दिया गया है कि अपने मालिक से उक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने कथित निलंबन आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आरटीओ, दुर्ग के समक्ष 23/12/2019 (अनुलग्नक पी–5) को एक आवेदन दिया, लेकिन, उक्त अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27/12/2019 (अनुलग्नक पी/6) के माध्यम से सूचित किया कि उसका कथित ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर (संक्षेप में "आरटीओ, रायपुर") द्वारा निलंबित कर दिया गया था; फिर उसने तुरंत इसके लिए उक्त अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन, उन्हें अपने पत्र दिनांक 15.01.2020 (अनुलग्नक पी/8) के माध्यम से सूचित किया गया कि ऐसा कोई दस्तावेज या आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति का सामना करने पर, उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस के प्रमाण के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य होना पड़ा और तभी उन्हें पता चला कि इसे दिनांक 10/07/2019 के आदेश के अधीन 16/04/2019 से 24/07/2019 तक पूर्वव्यापी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को न तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस के कथित निलंबन आदेश की जानकारी थी, न ही उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम, 1988") की धारा 19 के अधीन सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, ऐसे में 10/07/2019 को किया गया कथित निलंबन आदेश, जैसा कि 28/01/2020 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) में समर्थन किया गया है, जिसमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस को 16/04/2019 से 24/07/2019 तक पूर्वव्यापी रूप से निलंबित किया गया है, विधि की दृष्टि से गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने रिटर्न के आधार पर प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में अधिनियम, 1988 की धारा 184, 119 और 177 के अधीन

निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित वाहन चलाया था, इसलिए सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिकोण में इसे निलंबित कर दिया गया है।

6. इसलिए, पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों और उठाये गए तर्कों से यह पता चलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस संख्या सीजी07 20110028414, याचिकाकर्ता को 11/11/20114 को जारी किया गया था और यह 09/11/2031 तक वैध है, लेकिन इसे 10.07.2019 के आदेश के अधीन 16/04/2019 से 24/07/2019 तक तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित पाया गया, जैसा कि 28/01/2020 के आदेश में किए गए समर्थन से पता चलता है (अनुलग्नक पी/1)। याचिकाकर्ता को इस तथ्य का पता तब चला जब उसके मालिक रविशंकर मिश्रा द्वारा किए गए बीमा दावे को उत्तरवादी क्रमांक 5–भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 18/12/2019 को ई–मेल सूचना के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि अपने मालिक से उक्त तथ्य प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2–आरटीओ, दुर्ग, जिसने कथित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था, के समक्ष कथित निलंबन आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए 23/12/2019 (अनुलग्नक पी/5) को एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसे अपने पत्र दिनांक 27/12/2019 (अनुलग्नक पी–6) के माध्यम से सूचित किया कि उसका कथित ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ, रायपुर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि उक्त सूचना (अनुलग्नक पी–6) पर कार्रवाई करते हुए, याचिकाकर्ता ने उक्त उद्देश्य के लिए, उत्तरवादी क्रमांक 3–आरटीओ, रायपुर से 30/12/2019 (अनुलग्नक पी–7) को संपर्क किया, लेकिन उक्त प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 15/01/2020 (अनुलग्नक पी–8) के माध्यम से सूचित किया गया कि कार्यालय में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित निलंबन आदेश दिनांक 10/07/2019 की प्रति प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए जाने के बावजूद, उसे यह प्रदान नहीं किया गया और इसके बजाय, उसे इसके लिए एक या अन्य प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जैसा भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का कथित ड्राइविंग लाइसेंस उसे अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अपेक्षित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रावधान इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:–

"19. ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को निरस्त करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति।–––(1) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि वह–

(क) एक आदतन अपराधी या आदतन शराबी है; या

(ख) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अर्थ के भीतर किसी भी मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थ का आदतन आदी है; या

(ग) किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन में मोटर वाहन का उपयोग कर रहा है या कर चुका है; या

(घ) चालक के रूप में अपने पिछले आचरण से मोटर वाहन के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसके चलाने से जनता को खतरा होने की संभावना है; या

(ई) धोखाधड़ी या गलत बयानी द्वारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस या किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है; या

(एफ) ऐसा कोई कार्य किया है जो जनता के लिए उपद्रव या खतरा पैदा करने की संभावना है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है; या

(जी) धारा 22 की उपधारा (3) के प्रावधान में निर्दिष्ट परीक्षणों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है, या उत्तीर्ण नहीं हुआ है; या

(एच) अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है जिसे लाइसेंस धारक की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति से शिक्षार्थी लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है और वह ऐसी देखभाल में नहीं रह गया है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आदेश दे सकता है–

(i) उस व्यक्ति को लाइसेंस में निर्दिष्ट सभी या किसी भी वर्ग या विवरण के वाहनों को चलाने के लिए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रखने या प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित करना; या

(ii) ऐसे किसी लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। [(1–ए) जहां लाइसेंस धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा गया है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, ड्राइविंग लाइसेंस के धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद संतुष्ट होने पर, या तो ड्राइविंग लाइसेंस के धारक को उन्मुक्त कर सकता है या लिखित में दर्ज विस्तृत कारणों से ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस में निर्दिष्ट सभी या किसी वर्ग या विवरण के वाहनों को चलाने के लिए कोई लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य ठहराने का आदेश दे सकता है–––

(क) पहली बार अपराध के लिए, तीन महीने की अवधि के लिए;

(ख) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, ऐसे व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के साथ: बशर्ते कि जहां इस धारा के अधीन ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस के धारक का नाम सार्वजनिक डोमेन में इस तरह से रखा जा सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

2. ..... xxx ..... xxxx .....

3. ..... xxx ..... xxxx ....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त प्रावधान का एक मात्र अवलोकन यह दिखाएगा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। यद्यपि उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना और उसकी प्रति प्रदान किए बिना भी, कथित ड्राइविंग लाइसेंस को 10.07.2019 के आदेश के अधीन निलंबित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिकोण में, इसे विधि की नजर में टिकाऊ नहीं माना जा सकता है। परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारित दिनांक 28/01/2020 (अनुलग्नक पी–1) में उल्लिखित 10.07.2019 के आदेश के अनुसार, इस प्रकार, निरस्त किया जाता है।

9. प्रकरण का निराकरण करने के पूर्व जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस तब निलंबित नहीं पाया गया था, जब कथित दुर्घटना 30.06.2019 को दोपहर लगभग 02.30 बजे ग्राम मानिकपुर, मंडला रोड, शाहपुरा (मध्य प्रदेश) के पास हुई थी, बल्कि उसके बाद ही इसे 10.07.2019 के आदेश के अधीन निलंबित पाया गया था और वह भी 16/04/2019 से 24/07/2019 तक पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1988 का कोई उल्लंघन किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो 30.06.2019 को हुई कथित दुर्घटना की घटना से पहले कथित निलंबन आदेश क्यों जारी नहीं किया गया और, इसे 10/07/2019 को ही क्यों जारी किया गया, जैसा कि दिनांक 28/01/2020 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश में किए गए समर्थन से पता चलता है और, इसकी प्रति उन्हें क्यों नहीं प्रदान की गई, जबकि उनके द्वारा कई प्रयास किए गए थे। इस आशय का न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही किसी भी सक्षम उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को कथित निलंबन आदेश की प्रति प्रदान की गई है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर जब प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्रतिवादियों ने या तो कथित दस्तावेज/आदेश (अनुलग्नक पी/1) में हेराफेरी की है या कथित मालिक रविशंकर मिश्रा द्वारा किए गए कथित बीमा दावे से वंचित करने के लिए कुछ गलत किया है। इसलिए, कथित तथ्य का पता लगाने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन विभाग के सचिव द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है। तदनुसार आदेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी संबंधित दस्तावेज सचिव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) को तत्काल उपलब्ध कराए, जो इस संबंध में जांच रिपोर्ट और/या दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना

इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर देंगे, ऐसा न करने पर, उचित कार्रवाई की जाएगी।

11. उपरोक्त निर्देश के साथ, याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

****

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur